1

(16)

649
30.10.13

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, खण्ड पीठ,

रीवा ज़िला रीवा म0प्र0

प्रकरण क्रमांक R.165-दो/14

20 Rs. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

श्री आनन्द कुमार पाण्डेय अधि० द्वारा प्रस्तुत रीवा, दि. 30.10.13

R-165-II/14

मंध्यांचल ग्रामीण बैंक (पूर्व नाम रीवा सीधी ग्रामीण बैंक) शाखा रामपुर नैकिन तह0 रामपुर नैकिन, जिला सीधी म0प्र0 द्वारा प्रबंधक रामसुशील शर्मा, मध्यांचल ग्रामीण बैक शाखा रामपुर नैकिन जिला सीधी (म0प्र0)

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

——————————आवेदक /पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

बद्री सिंह तनय श्री वृजवासी सिंह, निवासी ग्राम रामपुर नैकिन थाना व तह0 रामपुर नैकिन जिला सीधी म0प्र0

1-1-14

——————————अनावेदक /गैरपुनरीक्षणकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 27/09/2013, प्रकरण कमांक 72/अपील /12-13 अनुविभागीय अधिकारी चुरहट, जिला सीधी म0प्र0

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50, म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

मान्यवर

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित है :-

यह कि आवेदक रीवा सीधी ग्रामीण बैंक एक बैंकिग संस्था है, आवेदक संस्था से अनावेदक द्वारा ट्रैक्टर एवं उपकरण कय करने हेतु 3,79,185/-रू. कर्ज लिया था, व वित्त पोषक के कॉलम पर आवेदक संस्था का नाम दर्ज था। कर्ज की अदायगी न होने पर आवेदक संस्था द्वारा आर0आर0सी0 अनावेदक के विरूद्ध जारी की गई थी व बैंक द्वारा

1

(16)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R165-II/14 जिला सीधी

मध्यांचल ग्रामीण बैंक विरूद्ध बन्दी सिंह

1	2	3
15-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री ओं. प्रकाश कु. पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील चुरहट के प्रकरण क्रमांक 72/अपील/12-13 में पारित आदेश दिनांक 27-09-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 25-03-19 को कलेक्टर सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

1